न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी–

मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
50/2020/प्रा.पत्र/2020	23.06.2020	23.12.2021

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

...... प्रार्थी

बनाम

1–श्री अशोक कुमार जैन पुत्र श्री जोरावर मल जैन निवासी बडा तख्ता रघुनाथपुरी टोंक जिला टोंक एफ.बी.ओ मैसर्स अशोक ट्रेडिग कम्पनी नजर बाग रोड बडा कुआ टोंक जिला टोंक

2– मैसर्स अशोक ट्रेडिग कम्पनी नजर बाग रोड बडा कुआ टोंक जिला टोंक

3–श्री दीपेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री मुन्नेश शर्मा नॉमिनी मैसर्स महेश वेज ऑयल प्रा0लि0 प्रथम तल प्लाट नं0 147–148 विजय होटल के पास बाजार नं0 2 भीलवाडा फैक्ट्री पता–खसरा नं0 807/267 व 889/267 मण्डा गुलफरोशान छोटी सादडी रोड निम्बाहेडा जिला चित्तोडगढ राज0

4– मैसर्स महेश वेज ऑयल प्रा0लि0 प्रथम तल प्लाट नं0 147–148 विजय होटल के पास बाजार नं0 2 भीलवाडा फैक्ट्री पता–खसरा नं0 807/267 व 889/267 मण्डा गुलफरोशान छोटी सादडी रोड निम्बाहेडा जिला चित्तोडगढ राज0

...... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2)की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–

1–प्रार्थी की ओर से श्री मदनलाल गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।

2–श्री तेजमल जैन,अभिभाष अप्रार्थीगण उपस्थित

:–निर्णय–: दिनांक 23.12.2021

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.03.16 14:53:43 IST
Reason: SelfAttested

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि अधोहस्ताक्षरक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 27.02.2020 को समय 4.00 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स अशोक ट्रेडिग कम्पनी नजर बाग रोड बडा कुआ टोंक जिला टोंक पर पहुंचा प्रोपराइटर की हैसियत से श्री अशोक कुमार जैन पुत्र श्री जोरावर मल जैन निवासी बडा तख्ता रघुनाथपुरी टोंक जिला टोंक एफ.बी.ओ मैसर्स अशोक ट्रेडिग कम्पनी नजर बाग रोड बडा कुआ टोंक जिला टोंक खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान मे **रिफाइंड सोयाबीन तेल (एम फ्रेश ब्राण्ड)** जिसके बैच नम्बर 02 एंव पैकिग की दिनांक फरवरी 2020 अंकित थी,रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर. विक्रेता श्री अशोक कुमार जैन को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता अशोक कुमार जैन एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान मे कागज के 20 कार्टून मे लगभग 240 पॉली पैक पैक्ड अवस्था मे प्रत्येक 1–1 लीटर **रिफाइंड सोयाबीन तेल (एम फ्रेश ब्राण्ड)** रखे हुये मे से एक कार्टून को खोलकर 4 मूल पैक वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत विक्रेता. श्री अशोक कुमार जैन को रू0 360/–अक्षरे तीन सौ साठ रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के स्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **रिफाइंड सोयाबीन तेल (एम फ्रेश ब्राण्ड)** खरीदशुद्वा 4 मूल पैक प्रत्येक 1–1 लीटर पैक को ज्यो का त्यो एक–एक नग के बराबर–बराबर नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार कर एंव चारो नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी. ओ.कोड एवं कमांक I–2461 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

ए

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी. ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–2461 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता. अशोक कुमार जैन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।खाध पदार्थ का नमूना क्रय करते समय श्री अशोक कुमार जैन ने मौके पर **रिफाइंड सोयाबीन तेल (एम फ्रेश ब्राण्ड)** का बतोर वारंटी बिल मैसर्स महेश वेज ऑयल प्रा0लि0 प्रथम तल प्लाट नं0 147–148 विजय होटल के पास बाजार नं0 2 भीलवाडा का खरीद/वारन्टी बिल संख्या/इन्वॉइस नं0 एमओवी19/ 2602 दिनांक 15.02.2020 की छायाप्रति पेश की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.03.16 14:53:43 IST
Reason: SelfAttested

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र कमांक एफ.एस.एस.ए./2020/951 दिनांक [illegible].03.2020 के द्वारा ज्ञात हुआ कि

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/458/एक्ट/2020/521 दिनांक 12.03.2020 अनुसार अशोक कुमार जैन से वास्ते नमूना जांच विकय किया गया **रिफाइंड सोयाबीन तेल (एम फ्रेश ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अनुसार **अवमानक** (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण **द्वारा अवमानक** (Sub-Standard) स्तर का **रिफाइंड सोयाबीन तेल (एम फ्रेश ब्राण्ड)** का विकय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2)की उप धारा (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51(सहपठित धारा 49) में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत ना कर बहस हेतु निवेदन किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **रिफाइंड सोयाबीन तेल (एम फ्रेश ब्राण्ड)** का विकय कर रहा था वह जांच में **अवमानक** (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **रिफाइंड सोयाबीन तेल (एम फ्रेश ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **अवमानक** (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 (सहपठित धारा 49)के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री अशोक कुमार जैन पुत्र श्री जोरावर मल जैन निवासी बडा तख्ता रघुनाथपुरी टोंक जिला टोंक एफ.बी.ओ मैसर्स अशोक ट्रेडिग कम्पनी नजर बाग रोड बडा कुआ टोंक जिला टोंक पर शास्ति 15,000 (अक्षरे पन्द्रह हजार रू0) अप्रार्थी श्री दीपेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री मुन्नेश शर्मा नॉमिनी मैसर्स महेश वेज ऑयल प्रा0लि0 प्रथम तल प्लाट नं0 147–148 विजय होटल के पास बाजार नं0 2 भीलवाडा फैक्ट्री पता–खसरा नं0 807/267 व 889/267 मण्डा गुलफरोशान छोटी सादडी रोड निम्बाहेडा जिला चित्तोडगढ राज0 पर शास्ति 15,000 (अक्षरे पन्द्रह हजार रू0) आरोपित की जाती हैअभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 23.12.2021 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2021 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

23.12.2021

(मुरारी लाल शर्मा)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.03.16 14:53:43 IST
Reason: SelfAttested